



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 926]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2017/कार्तिक 23, 1939

No. 926]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017/KARTIKA 23, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 50 /2017-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 1402(अ).—केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 22 सितंबर, 2017, सा.का. नि. 1198(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 28 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, स्तंभ(4) में, ब्रैकेट और शब्दों "[डियरी सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण के लिए]", के स्थान पर ब्रैकेट, शब्द और अंक " "[डियरी सहकारी समितियों या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत पंजीकृत कंपनियों के माध्यम से वितरण के लिए]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना सं0 30/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 22 सितंबर, 2017, सा.का. नि. 1198(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 28 जून, 2017, में प्रकाशित किया गया था ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th November, 2017

**No. 50/2017-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 1402(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Goods and Services Tax Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 30/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 22<sup>nd</sup> September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1198 (E), dated the 22<sup>nd</sup> September, 2017, namely:-

In the said notification, in Table in column (4), for the brackets and words “[for distribution through dairy cooperatives]”, the brackets, words and figures “[for distribution through dairy cooperatives or companies registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013)]”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 15th day of November, 2017.

[F. No. 354/320/2017- TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 30/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 22<sup>nd</sup> September, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1198 (E), dated the 22<sup>nd</sup> September, 2017.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

**सं. 85/2017-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 1403(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017- सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है यथा:—

(i) क्रम सं. 557क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“557ख	कोई अध्याय	सभी वस्तुएं, पोत, जहाज [मोटर वाहन से भिन्न] आयात के पश्चात उपयोग के लिए आयातक द्वारा लीज के तहत आयातित	—	शून्य	102”;
-------	------------	--	---	-------	-------

(ii) क्रम सं. 607 या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रति: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“607 क	9804	निजी इस्तेमाल के लिए आयातित जीवन रक्षक औषधियों/दवाएं, जिनकी विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुफ्त में आपूर्ति की गई	शून्य	शून्य	104”;
--------	------	--	-------	-------	-------